

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 14/2020

अब्दुल सतार बनाम राजस्थान सरकार

वादी की ओर से अधिवक्ता आबिद एम खान की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23.05.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खिदरसर पटवार हल्का देरवाला तहसील व जिला झुन्झुनू में भूमि हाल खसरा नम्बर 767/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में वादी का नाम सत्तार पुत्र रमज्यान की बजाय अब्दुल सत्तार पुत्र मोहम्मद रमजान जाति व्यापारी कुरैसी दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व.अदालत की मोहर द्वारा मुर्तिब किया गया।



*(हवाई सिंह यादव)*  
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू  
खसरा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	5	योग	

*(हवाई सिंह यादव)*  
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू  
उपखण्ड अधिकारी  
खसरा (राज.)